तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील 13 / 2021 आईदानराम बनाम तहसीलदार गुड़ामालानी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06.2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन वाद दिनांक 27.04.2016 को अदम पैरवी में खारीज कर दिया गया जिसकी जानकारी राजस्व लोक अदालत कैम्प पीपराली में दिनांक 01.06.2016 को पत्रावली नही आने पर हुई तो यथा शिघ्र दिनांक 27.07.2016 को पुनः बरादम कर ली गई परन्तु श्रीमान के न्यायालय में अपील का निस्तारण मेरिट पर नहीं कर मूल राजस्व वाद के अदम पैरवी में खारीज होने के आधार पर करने हेतु रेस्पोडेंट के वकील ने आदेशिका दिनांक 27.04.2016 की नकले पेश की तब अपीलांट के वकील द्वारा वाद पुनः बरामद करने की आदेशिका पेश करने हेतु अवसर चाहा तथा नकले भी लाकर पेश कर दी तो उक्त अपील पुनः बरामद नहीं की ता अपीलांट को लगा की उक्त अपील चल रही है। अरसा पन्द्रह दिन पूर्व अपीलांट की कब्जा काश्त की भूमि पर रेस्पोडेंट ने दखलअंदाजी की तथा बेदखल करने की धमकी दी तब अपीलांट ने वकील से सम्पर्क किया तो उक्त पत्रावली बिना मेरिट के खारीज होने की जानकारी हुई जबकि मूल वाद विचाराधीन है। अतः धारा 05 म्याद अधिनिमय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार अपील को पुनः बरामद कर मेरिट पर निस्तारित करने का आदेश प्रदान करावे। राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा हस्तगत आवेदन मियाद बाहर पेश किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अतः अपीलांट का आवेदन मियाद बाहर तथा मैरिट पर भी खारिज फरमाया जावे। इसके उपरांत भी यदि अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जाता है तो अपीलांट पर भारी कॉस्ट लगाकर स्वीकार किया जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। वाद के विचारण में रहते अपील का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट का आवेदन अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील को पुनः नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। (प्रतिष्ठा पिलानियां) राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	